न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 09/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. गंगाराम गोदपुत्र श्री घेवरराम उम्र 82 वर्ष जाति गरुडा निवासी–तिवंरी, जिला जोधपुर		1. गिरधारीराम पुत्र श्री पूनाराम फौत के कायम मुकाम 1/1–नथूराम पुत्र गिरधारीराम 1/2–श्रीमती चन्दा पत्नी गिरधारीराम 2. भैराराम पुत्र श्री पूनाराम 3. रावतराम पुत्र श्री पूनाराम 4. भंवराराम पुत्र श्री पूनाराम 5. लुणाराम पुत्र श्री पूनाराम 6. तिलाराम पुत्र श्री पूनाराम 7. परसराम पुत्र श्री पूनाराम सभी जातियान–गरुडा निवासीगण–ग्राम तिंवरी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर 8. तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार, औसिंया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 640 दिनांक 12.09.1974 को निरस्त करने हेतु।

उपस्थिति:– 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पी.आर मेघवाल उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टस बावजूद नोटिस तामिल कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांकः 23.07.2019

अपीलान्ट गंगाराम गोदपुत्र श्री घेवरराम उम्र 82 वर्ष, जाति गरूड़ा,निवासी ग्राम तिंवरी जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट गिरधारीराम पुत्र श्री पूनाराम के कायम मुकाम नथूराम जाति गरूड़ा, निवासी ग्राम तिवरी जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 12.09.1974 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 640 ग्राम तिंवरी को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की एक पुश्तैनी कृषि भूमि वाके ग्राम तिंवरी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 99 रकबा 98 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता एवं रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. पूनाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रुप से अमल दरामद थी जो वर्तमान में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खातेदारी व कब्जा कास्त में है। वादग्रस्त पुश्तैनी कृषि भूमि में स्व. घेवरराम का 1/2 हिस्सा था, जबकि श्री घेवरराम का देहान्त वर्ष 1972 में हो गया था तथा उनकी पत्नी का भी देहान्त हो चुका है, परन्तु देहान्त से पूर्व वर्ष 1970 में स्व. घेवरराम व उनकी पत्नी तथा स्व. पूनाराम व पूनाराम की पत्नी ने रिश्तेदारों, गांव के मौजीज व्यक्तियों व आस-पडौसियों की उपस्थिति में अपीलान्ट को गोद ले लिया था, तब से अपीलान्ट स्व. श्री घेवराराम जी का गोदपुत्र है। चुंकि अपीलान्ट के समाज में गोदनामा को रजिस्टर्ड करवाने का प्रचलन नहीं था, इसलिए गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, लेकिन गोदनामा की सम्पूर्ण रस्में सभी रिश्तेदारों, मौजीज व्यक्तियों एवं आस-पडौसियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई थी। उपरोक्त गोद की रस्म पूर्ण होने के पश्चात् अपीलान्ट के समस्त दस्तावेजों यथा लाईट-पानी के बिल, राशन कार्ड, बैक खाता, आधार कार्ड, मतदाता सूची में गंगाराम पुत्र श्री घेवरराम दर्ज है तथा अपीलान्ट को इसी नाम से समाज में जाना व पहचाना जाता है।

रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 7 ने दिनांक 21.05.2017 को अपीलान्ट को बताया कि कृषि भूमि का बंटवाडा करना है, तब अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस को कहा कि आधी जमीन मेरे पास है एवं आधी आपके पास है, तब रेस्पोडेन्टस ने बताया कि राजस्व रेकर्ड में आपका नाम 1/8 हिस्से में दर्ज है और आपके पास भूमि बराबर आधी है, जिस पर दिनांक 01.06.2017 को हल्का पटवारी से मिलकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 640 व जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर पता चला कि घेवरराम का फौतदगी म्यूटेशन राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि उक्त म्यूटेशन के जरिए अपने नाम करवा ली तथा उक्त म्यूटेशन को स्वीकृत करते वक्त तहसीलदार औसिंया द्वारा भी बिना कोई जांच पडताल व नोटिस जारी किये उक्त अपीलाधीन म्यूटेशन को स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर तहसीलदार ओसियां द्वारा स्व. घेवरराम के गोद पुत्र वारिस को छिपा कर अपीलान्ट की भूमि हडप करने की नियत से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपीलान्ट को बिना सुने व नोटिस दिये बाले बाले अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने, स्व. पूनाराम द्वारा अपने पुत्र गंगाराम को अपने जीवनकाल में समाज के मौजीज व्यक्यिों एवं रिश्तेदारो की उपस्थिति में अपने

भाई घेवरराम को गोद देने तथा घेवरराम द्वारा गोद लेना स्वीकार करने के बावजूद भी उक्त बात को छिपाते हुए उक्त म्यूटेशन अपने नाम पर स्वीकृत करवाने, अपीलान्ट का बालिग होने से आज दिन तक समस्त दस्तावेजो में नाम गंगाराम पुत्र श्री घेवरराम दर्ज है जिसका रेस्पोडेन्टस द्वारा कोई विरोध नही किया जाकर मात्र जमीन हडपने की नियत से रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलान्ट को श्री पूनाराम का पुत्र बताने, मौके पर आज भी 1/2 हिस्से की भूमि पर स्व. घेवरराम का गोद पुत्र होने के नाते पिछले करीब 45 वर्षो से काबिज काश्त होने आदि आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 12.09.1974 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 640 ग्राम तिंवरी को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, तिंवरी से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पी0आर0 मेघवाल ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार ओसिया द्वारा दिनांक 12.09.1974 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 640 ग्राम तिंवरी को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 12.09.1974 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 640 ग्राम तिंवरी पूर्णतया विधिसम्मत व सही स्वीकृत होने से उक्त नामान्तरकरण को यथावत रखने व अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह जानकारी हो सके कि अपीलान्ट, रेस्पोडेन्टस के पिता श्री पूनाराम के भाई श्री घेवरराम का गोद लिया हुआ पुत्र है तथा उसका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु लगभग 45 वर्ष पश्चात् यह अपील प्रस्तुत की गयी है जो कि म्याद के बिन्दू पर खारिज होने योग्य है। नामान्तरकरण सामान्य रिकॉर्ड लेखन प्रक्रिया है जिसके द्वारा खातेदारी अधिकार आदि का निर्णयन उचित नहीं। यदि अपीलान्ट का भूमि पर कब्जा

व अन्य आधारों पर स्वामित्व है तो वह सक्षम न्यायालय में दावा कर सकता है अर्थात अपीलान्ट इस हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

अत: अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 12.09.1974 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 640 ग्राम तिंवरी यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार तिंवरी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर